RAJYA SABHA

Thursday, the 26th April, 1984/6 Vaisakha, 1906 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, Mr. Chairman in the CHAIR

ORAL ANSWERS TO QUESTION

*61. [The questioner (Shri J. K. Jain) was absent. .For answer, vide cols____infra]

राजनीतिक हत्याओं और उप्रवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये कतिपय ग्रधिनियमों का संशोधन

*62. श्री सत्यपाल मिलक: व्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि देश में चल रही उग्रवादियों की गतिविधियों तथा राजनीतिक हत्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार साक्ष्य ग्रधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता में ग्रावश्यक संशोधन करने क्रा विचार कर रही हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): There is no such proposal.

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन, ग्रगर यह राच है जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं तो मैं जानना चाहंगा कि जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं या जो हत्याएं उग्र-वादियों के हाथ से हुई हैं या जो और आगे हत्याएं होने की संभावनाएं हैं तो क्या सरकार यह बताने की कुपा करेंगी कि उनको सजा दिलवाने के लिए क्या इतजाम बर रही है ? क्योंकि मेरी जानकारी यह है, आज इस देश में जो खतरनाक किस्म के ग्रपराधी हैं, जो गिरोहबंद ग्रादमी हैं जिनके पास ताकत है वह अगर करल करता है तो जो मीजदा कान्न है उसके तहल 90 फीसदी से ज्यादा मामले छुटे जा रहे हैं ग्रदालतों में । उग्रवादियों ने जो करल किये हैं उनमें सै श्रधिकांश मामलों में चार्जशीट भी नहीं सभी हैं, निरंकारी बाबा की हत्या का 276 RS-1.

फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। जो लोग बड़े सें बड़े अपदिमयों को धमकी देते हुए, नहीं डरते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इस देश में, इसमें मुझे मुबहा है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आप इन लोगों को राजा दिलाने के लिये कीन से तरीके सोच रहे हैं जिससे आप यह एसर्टेन कर सकों इन्होंने जो अपराध किया है उसमें सजा दिलवा दें?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, in order to meet the situation that is obtaining in Punjab, the Government have taken several measures. So far as IPC is concerned, there are ample provisions in it under which deterrent action can be taken against those who indulge in acts of arson, kidnapping, dacoity etc Apart from that, so far as Punjab is concerned, additional measures are also available, for instance, the Punjab (Disturbed Areas) Act...

MR. CHAIRMAN: Acts do not catch criminals.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Recently, we have amended the National Security Act through Ordinance. That Ordinance has been passed into law in the Lok Sabha yesterday. According to this amended Act a person can be detained without reference being made to the Advisory Board for a longer period. As it is his period of detention is upto six months. But if the Advisory Board upholds the order, the maximum period of detention could be upto two years nnder the amended law. With all these measures we hope that those who indulge in acts of arson and violence could be apprehended. This new Ordinance is in force and 38 persons have been detained under this.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

The question is not about National Security Act. The question is about amending the Evidence Act, etc.

MR. CHAIRMAN: I know you are very anxiaus to do something. But let Mr. Malik have his question.

3

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: But the answer to his question must come.

MR. CHAIRMAN; I think Mr. Malik can take care of his own supplementary.

श्री सत्यपाल मिलक : श्रीमन्, मुझे माफ करेंगे, एक पुलिस का दरोगा इससे बेहतर जवाब देता . . . (व्यवधान) । मेरा सवाल यह था कि (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापडें : आप ऐसी जैम्बेज इस्तमाल करेंगे, यह आणा नहीं थी ... (व्यवधान)

भी सत्यपाल मलिक : मैंने यह कहा है कि मेरे सवाल का जवाब एक दरोगा बेहतर देता क्योंकि उसको मामले की जानकारी होती है, उसको गृह मंत्री से मामले की बेहतर जानकारी होती है। मेरा सवाल यह था कि जो ताकतवर किमिनल्स होते हैं, चाहे वे राजनातिक करल करते हों या किसी और इरादे से करव करते हों उनको ग्राप सजा दिलवायें। सभी जो माजदा तरीका है, जैसा कि इमिनेन्ट जूरिस्ट्स यहां पर बैठे हुए हैं, मैं सरकार से ग्राश्वस्त होना चाहता हं कि क्या ग्राप उसको नजा दिलवाएंगे? **ध्रा**ज क^र जो मौजुदा चलन है, उत्तर प्रदेश ग्रांर दिल्ली की मुझे जानकारी है, जो बड़े-बड़े डकैंस होते हैं, किमिनल्स होते हैं, वे 90 फीसदी मामलों में छट जाते हैं। बोस-बोस कत्ल करते हुए दिल्लो में वे छूट जाते हैं। उनकी फैंडरिस्त भीर नाम दे सकता हुं। जो ताकतवर किमिनल्स करल करते हैं। उनको पोलिटिकल पेट्रोनेज होती है, पुलिस की सपोर्ट होती है, इंटेलिजेन्स की सपोर्ट होता है, उनके पोछे तमाम दल होते हैं। प्रिवेटिव डिटें-शन के बाद वे हीरो होकर निकलते हैं। इसलिए मेरा सवाल यह है कि जो इस तरह के करल करते हैं उनको आप क्या सजा देते हैं जिससे इस तरह के करल न

हों ? इसके लिए यह एनश्योर करन जरूरी है कि जो इस तरह के करल होते हैं उनके करने वालों को धजा दिलाई जाये ? आपके सामने अगर कोई चोज विचाराधीन नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि इसके लिए स्पीडी ट्रायल करने के लिए ग्राप स्पैशल ट्राइब्युनल बना सकते हैं और इन स्पैशल ट्राइब्यूनल्स में मुकदमों की सुनवाई कमरा में हो सकतो है। जिस तरह से करणान में होता है या गवर्नमेंट के सीकेट एक्ट मे होता है उस तरह की ट्रायल हो सकतो है । चंकि ब्राम ब्रादमी में यह हिम्मत नहीं है कि वह किसी एक्सट्रिमिस्ट्स के खिलाफ गवाही दे सके । आपके सामने इस तरह की कोई बात विचाराधीन नहीं है तो मैं खुदा के नाम से द्यापसे प्रार्थना करता हूं कि जो आदमी सबसे ताकतवर हो गया है, किसी को भी मार देला है, गिरपतार होकर छट जाता है, उसके संबंध में श्रभी तक ग्रापने नहीं सोचा है तो नया मेरे सुझाव को रोशनों में सोचने की हुपा करेंगे ?

SHRI P. C. SETHI: Sir, the honourable Member has given a good suggestion. We would certainly try to consider it and act on it

As far as the political patronage of the criminals is concerned, I absolutely deny this charge and, Sir, I want to say that we are doing everything possible to apprehend the culprits and see that they are convicted. It is for the law courts tO decide, Sir, whether the charge against them is proved or not and if the charge is not proved, certainly they release them and there we are helpless.

श्रो सत्यपाल मिलक : श्रीमन्, यह गलत हो जाएगा, रिकाडं पर गलत बात चली जाएगी। मेरा पोलिटिकल पैट्रोंनेज से कहने का मतलब यह नहीं या कि ग्राप पैट्रोनेज दे रहें हैं। जो किलिंग पोलिटिकल नेचर की हैं वे किन्हीं मांगों को लेकर होती हैं, खास तरह के संगठन और खास तरह की पेट्रोनेज उनको हासिल होती है। चूंकि पोलिटिकल मूबमेन्ट के तहत ये किलिंग होती हैं इसलिए उस लिहाज से आपं अपने जवाब को ठीक कर लें।

श्रीमती इंदिरा गांधी: मेरे खपाल से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जहां तक में समझी उन्होंने कहा कि आपका मुख्य मुझाव यह या कि कोई तरीका निकले जिससे इन लोगों को ठीक से सजा मिले। आजकल बेल पर या दूसरे किसी बहाने ये आसानी से छूट जाते हैं। चाहे दबाव से हो या कोई और कारणहों यह मालूम नहीं लेकिन इसमें में बिलकुल माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें पुलिस को भी काफी कठिनाई होती है। मुझ को स्वयं किसी ने कहा कि हमने फतां जने को पकड़वाया और थोड़े दिनों के बाद कोर्ट से छोड़ दिया गया।

श्री समापति : उसको ग्राप एमेन्ड कीजिये बेंल को स्टिक्ट कीजिये।

श्रीमती इंदिरा गांधी: स्ट्रिक्ट करना होगा या क्या करना होगा, इस पर गौर तो कर रहें हैं, वैसे किसी माननीय सदस्य-गण के सुझाव हों तो सोचैंगे।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA; Sir, I appreciate what the Prime Minister bas slated just now. The first answer to the question given by the honourable Minister of State for Home Affairs was that there was no proposal under consideration and he referred to the National Security Act which is an Act relating to preventive detention. Sir, laws have to be amended keeping in view the realities of the sil nation. In view of the activities of terrorists and other disintegrating forces which are taking place in Punjab and in other parts of the country, would the hon. Minister of Home Affairs consider whether the question of amendment of all

the statutes mentioned this paricular question should be referred to the Law Commission to suggest necessary amendments, if any?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, this is a suggestion for consideration.

श्री वीरेंद्र वर्मा: श्रीमान, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, माननीय गृह मंत्री जी की श्रोर से जो उत्तर प्राप्त हथा है, जो उत्तर उन्होंने दिया है, उसमें पंजाब की प्राब्लम को साल्व करने के लिये उन्होंने नेशनल सेक्यरिटी ऐक्ट में ग्रमेंडमेंट करने का सझाव बताया है। लेकिन यह प्रश्न केवल पंजाब का नहीं है। यह प्रकादिस्ली का है, जहां कि हरबंस सिंह मनचंदा का करल हुआ कुछ दिन पेश्तर और यह प्रश्न सारे देश का है जहां कि लोग-बाग शहादत देने नहीं जाते, गवाही देते हुए डरते हैं और लोग-बाग उसकी शिनास्त नहीं करते, वह बहुत डरते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहंगा कि क्या वे पूरे देश भर के परि-प्रेक्ष्य में इस प्रकार का कोई ऐक्शन लेंगे, जिस प्रकार का वे कह रहे हैं कि हम पंजाब में ले रहें हैं, जिससे कि इस समस्या का कोई ठीक सोल्यणन निकल सके?

SHRI P. C. SETHI: As far as Mr. Manchanda's matter is concerned, important clues are available and we are pursuing them. As far as the action to be taken against criminals in this respect is concerned, it is a State subject. We would certainly pass on the suggestion of the hon. Member to the State Government concerned, so that they can act upon it.

MR. CHAIRMAN: There are no two opinions on this, and I think we need not discuss it further. I will give one more chance. Yes—you are jumping up so much.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: We are experiencing these difficulties even in Maharashtra because a lot of complaints are lodged with the police stations. The offence which

7

was committed is never brought in the record. Therefore, my suggestion is that all these offences may be made non-bailable and proper entries made when the First Information Report is given to the police station. Otherwise it will be very difficult. Anybody can go and approach the police station against the persfm' concerned who is bailed out and all these multiple offences arise. Therefore, I suggest that whenever a complaint is lodged with the police station it may be taken as it is given by the person concerned and the offences may be made non-bailable.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It is being considered. I may tell for the information of the hon. House that various provisions have already been made stringent by amending the Act in respect of Punjab.

MR. CHAIRMAN: Next question. This is a Question Hour, not 'Suggestion Hour'.

M/s. I.T.C. Limited

- 63. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleas-ed to state:
- (a) whether Government have taken any action against M/s. Indian Tobacco Company Limited for setting up two small scale units without proper licence; and
- (b) if not, what are the reasons there for?

.THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Small Scale industrial undertakings and ancillary industrial undertakings are exempted from the licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 However, these exemptions are not available to a small scale industrial unit or an ancillary which is a subsidiary of or owned or controlled by any other undertaking.

In view of this position M/s. Indian Tobacco Company Limited would not be exempted from the licensing provisions of the Act if they were to set up any small scale industrial undertking as defined under the Act.

According to a recent study carried out by the Indian Institute of Public Administration M/s. ITC has set up two small scale units.

This is being looked into.

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, एक तरफ स्माल स्केल इंडस्टीज की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने काफी व्यवस्था की है। छोटे उद्योगों को बड़े उद्योग हड़प न जाएं इसके लिए सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके बाबज द मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इण्डियन तम्बाक कम्पनी ने दो तरह की स्माल स्केल इंडस्टीज की स्थापना की है बिना लाइसेंस के, ग्रतः ग्राई०डी०ग्रार० एक्ट ग्रौर एम ब्यार ब्टी ब्पी व एक्ट का भी उल्लंघन इसके अन्तर्गत आ जाता है, उसकी छानबीन कर रहे हैं। मैं मन्ही महोदय से जानना चाहंगा कि वह प्रोडक्शन केपेसिटी क्या है और यह अनलाइसेंस्ड जो स्थापना की है ग्राप क्षव तक उसकी छानबीन कर लेंगे? इसके साथ दूसरा जडा हक्षा प्रश्न यह है कि इण्डियन तस्वाक कम्पनी ने अपनी इंसीलेरी यनिटस भी कई जगहों पर लगा रखी हैं और वहां से माल भी मंगवाते हैं और ओवर-प्रो-डक्शन भी यह कर रहे हैं, स्रोवर पेके^{र्}जग भी कर रहें हैं तो मैं यह जानना चाहता हं कि क्या इसकी भी छानबीन दरेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी: श्रीमन्,
मुझे ज्ञात है कि माननीय सदस्य को इस
विशेष प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में काफी
चिन्ता है और मैंने इसीलिए तारीख 15
मार्च और 22 मार्च को प्रतारांकित प्रश्नों
के जरिये और 8 मार्च को तारांकित प्रश्नों
के जरिये और 8 मार्च को तारांकित प्रश्नों
के जरिये उनकी जिज्ञासा को शान्त करने
का प्रयत्न किया। ग्राज भी उन्होंने प्रश्न
पूछा है उसके तद्गुरूप मैंने उत्तर देने
का प्रयत्न किया है। सारी बातों की
जांच हो रही है। एक समिति का गठन